न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी:—आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:—258/2023 प्रार्थना पत्र

1— नानजी पुत्र हरलाल गाडरी निवासी चौपडा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2—श्री किशन पुत्र हरलाल गाडरी निवासी चौपडा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1— चांदी पत्नि स्व. काना गाडरी निवासी चौपडा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2—जमनी पुत्री स्व. काना गाडरी निवासी चौपडा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3—बदाम पुत्री स्व. काना गाडरी निवासी चौपडा का खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री नारायणलाल चौधरी
2—अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 1 व 2 श्री श्रवण कुमार सैन
3—अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 03 श्री रतनलाल साल्वी

:: निर्णय ::

दिनांक:—22.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद चौपडा का खेडा पटवारी हल्का रीछडा भू. अ.नि. क्षेत्र महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.8346 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी संख्या 2295 रकबा 0.8346 हैक्टेयर में आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम चौपडा का खेडा प0ह0 रीछडा तहसील भीलवाडा में स्थित विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 की आराजी संख्या 2291, 2294, 2295/2 में से होकर वर्षो से आते जाते रहते है और मुख्य मार्ग राजस्व ग्राम कालियाखेडा की आराजी संख्या 2539 व राजस्व ग्राम चौपडा का खेडा के राजस्व ग्राम की आराजी संख्या 2280 से जोडता है जो रास्ता चौपडा का खेडा से कालियाखेडा को जोडता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रिकार्ड में मौजूद नही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का पैदल, ट्रेक्टर, संजबेल आदि का यही एकमात्र रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में ट्रेक्टर संजबेल लेकर आता जाता है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेतों की हकाई बुवाई

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

व फसल कटाई करवाते है। यद्यपि प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग वाले ओर वांछित मार्ग की आराजियात काना पुत्र मोडा जी के नाम दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है परन्तु काना पुत्र मोडा की मृत्यु के उपरान्त काना पुत्र मोडा के जायन्दा वारिसान विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग वाले वांछित मार्ग को जोतकर अपने खेत में मिला प्रार्थीगण का मार्ग अवरूद्व कर दिये जाने से प्रकरण में विपक्षीगणों को आवश्यक पक्षकार होने से संयोजित किया गया है। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 ने दिनांक 05.07.2023 को बेजा ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के रास्ते को आराजी संख्या 2291, 2294, 2295/2 में रास्ते में पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया है तथा इस रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है को बंद कर प्रार्थीगण के रास्ते को अवरूद्व कर दिया व मौके पर निर्माण सामग्री इकट्ठा कर ली है व अतिशीघ्र मौके पर निर्माण कर रास्ते को स्थायी रूप से बंद करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थीगण का अपनी आराजी में आने जाने का रास्ता हमेशा केलिए बंद हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में नही आ जा सकेगा इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नोबत आई है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में रास्ता को लाल स्याही से प्रस्तावित कर दर्शाया है, जिसके अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने की स्वीकृति प्रदान कराई जावें।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित और संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अंकित 30 फीट चौडा रास्ता जो विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 की आराजी संख्या 2291, 2294, 2295/2 है उस रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज कराया जावे रास्ते के लिए अवाप्त भूमि की डीएलसी दर से जो राशि निर्धारित होती है प्रार्थीगण अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 03 की और से दिनांक 12.10.2023 को ईकबालिया जवाब पेश हुआ जो शामिल फाईल किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 व 02 की और से जवाब पेश नही करने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल फाईल किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस के दोरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहद चौपडा का खेडा पटवारी हल्का रीछडा भू.अ.नि. क्षैत्र महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.8346 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी संख्या 2295 रकबा 0.8346 हैक्टेयर में आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम चौपडा का खेडा प0ह0 रीछडा तहसील भीलवाडा में स्थित विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 जो कि स्वर्गीय काना पुत्र मोडा गाडरी जो कि विपक्षी संख्या 01 के पति एवं विपक्षी संख्या 02 व 03 के पिता की आराजी संख्या ~~2291~~, 2294, 2295/2 में से होकर वर्षो से आते जाते रहते है और मुख्य मार्ग

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व ग्राम कालियाखेडा की आराजी संख्या 2539 व राजस्व ग्राम चौपडा का खेडा के राजस्व ग्राम की आराजी संख्या 2280 से जोडता है जो रास्ता चौपडा का खेडा से कालियाखेडा को जोडता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता मौके व रिकार्ड में मौजूद नही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का पैदल, ट्रेक्टर, संजबेल आदि का यही एकमात्र रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण अपने खेतों में ट्रेक्टर संजबेल लेकर आता जाता है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेतों की हकाई बुवाई व फसल कटाई करवाते है। 30 फीट चौडाई में नया रास्ता दर्ज कराया जाकर रास्ता में आने वाली भूमि का माप के आधार पर बनने वाले रकबा का नियमानुसार डी0एल0सी0 दर से मुआवजा तय कराया जाकर विपक्षीगण को भुगतान हेतु जमा कराया जाकर प्रस्तावित नक्शा के अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 बहस के लिए तैयार नही।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– नही।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :– प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम व कम दूरी वाला है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थीगण की आराजियात नही चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :–
   तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के तलब किया, परन्तु रास्ता देने से मना किया।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया लघुतम रास्ता विपक्षीगण की आ0नं0 2291 रकबा 0.0354 है., आ0नं0 2294 रकबा 0.0076 है., आ0नं0 2295/2 रकबा 0.0050 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

0480 हैक्टेय में प्रस्तावित किया गया जिसकी चौडाई 16.5 फीट का कुल क्षैत्रफल 0.0480 हैक्टेयर बनता है। उक्त आराजी की डीएलसी दर से राशि 165280—00 रूपये प्रति हेक्टेयर से प्रस्तावित रास्ता रकबा 0.0480 हैक्टेयर की राशि डीएलसी दर से दोगुनी करने पर राशि 15867—00 रूपये बनती है। मौका पर्चा नक्शा ट्रेस संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा चौपडा का खेडा प0ह0 रीछडा भू0अ0नि0 क्षैत्र महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.8346 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 2291, 2294, 2295/2 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 2291, 2294, 2295/2 विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः ग्राम चोपडा का खेडा प0ह0 रीछडा भू.अ.नि. महुआंकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 2295 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1—,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

2. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहाँ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा चौपडा का खेडा प0ह0 रीछडा भू.अ.नि. महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 2295 में आने जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 3 के स्वर्गीय पति/पिता काना पुत्र मोडा गाडरी की मौजा चौपडा का खेडा प0ह रीछडा भू.अ.नि. महुआकलां तहसील भीलवाडा के आ.नं. 2291, 2294, 2295/2 किता 03 रकबा 0.9232 हैक्टेयर में से 0.0480 हैक्टेयर भूमि जिसकी चौडाई 16.5 फीट अर्थात 0.0480 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुते स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि 165280–00 रूपये प्रति हेक्टेयर बनती है, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0480 हैक्टेयर भूमि की डीएलसी दर से राशि दोगुनी करने पर 15867–00 रूपये बनती है जो कि आराजी संख्या 2291, 2294, 2295/2 अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 03 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 03 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा